न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2530/2003/भरतपुर

1. दौली पुत्र सुखा जाति जाटव निवासी ग्राम बेलारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. चन्नों
2. बसंन्ता पुत्रगण कारे जाति जाटव निवासी ग्राम बैलारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
श्री वैभव कृष्ण पारीक, ब्रीफहोल्डर अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री जी.एस. लखावत, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 17.12.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–05–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण–प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय, भरतपुर के न्यायालय में प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत ग्राम बैलाराकलां स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 956

लगायत 976 कुल किता 21 कुल रकबा 4.54हैक्टयर के 17/24 हिस्से में 2/3 हिस्से बाबत् वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने एवं 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी को खातेदार घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर मूल वादपत्र में पांच तनकीयात कायम कर उभयपक्षों की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त् उभयपक्ष की बहस सुनकर कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–02–2002 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 02–05–2003 से स्वीकार कर विवादित आराजी में से 17/24 हिस्से में से 2/3 हिस्से का वादीगण को तथा 1/3 हिस्से का प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 988 व 869 थे जिसमें अपीलार्थी के पिता सुखा एवं प्रत्यर्थी के पिता कारे 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे और सुखी व सुगनी

1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। प्रत्यर्थी द्वारा जो विक्रय दिनांक 1–8–1972 का बताया जाता है उसमें धारा 42–ए टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू होते है। उनका कथन है कि विवादित आरजी के आधे हिस्से का अपीलार्थी व आधे हिस्से का प्रत्यर्थीगण खतोदार काश्तकारी राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा बन्दोबस्त से पूर्व भी वादी के पिता एवं प्रतिवादी के पिता आधे हिस्से के खातेदार काश्तकार अंकित है एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने इन्द्राजात को दोहराया गया है एवं इसी अनुसार अपीलार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के दिनांक 1–8–1972 के बयनामा में धारा 42–ए के प्रावधान लागू होते है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा डिक्री करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 1994 आरआरडी पेज 770 एवं 1995 आरआरडी पेज 734 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. इसके अतिरिक्त योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद में पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 988 एवं 969 थे, जिसमें 1/3 हिस्सा सुक्खी व सुगनी खातेदार थे एवं शेष 2/3 हिस्से के कारे, सुखा खातेदार काश्तकार थे। प्रत्यर्थीगण कारे के वारिस है एवं अपीलार्थी सुखा के वारिस है। उनका कथन है कि कारे व सुखा ने 2/3 हिस्से में

से 1/3 हिस्से का दिनांक 1–8–1972 को बसन्ता के हक में बयनामा तथा सुखी व सुगनी ने 1/3 हिस्से में से 1/8 हिस्सा का बयनामा कारे सुखा व बसन्ता के हक में निष्पादित किये, जिसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेख में क्रेतागण के हक में खातेदारी दर्ज हुई। उनका कथन है कि एक सहखातेदार द्वारा दूसरे सहखातेदार से उसका हिस्सा क्रय किया जाना फ्रेंगमैन्ट की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय ने इन विक्रयपत्रों को फ्रेगमैन्ट के आधार पर धारा 42–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघन होना कर मानकर तनकी संख्या–2 को वादीगण के विरूद्ध निर्णीत कर दिया जबकि दिनांक 11–11–1992 को फ्रेगमैन्ट समाप्त कर दिया और इसका प्रभाव भूतलक्षी माना गया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर तनकीवार विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जिनमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारीज किया जाये।

6. हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारिकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2029–32 साबिक खसरा नम्बर 959 रकबा 13बीघा 07बिस्वा एवं 988 रकबा 12बीघा 14बिस्वा भूमि कारे, सुखा पुत्र पेमा एवं बसन्ता पुत्र कारे बहिस्सा बराबर 17/24 दर्ज होने से कारे व बसंता का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा 17/24हिस्से में दर्ज था, बाद में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आधा–आधा हिस्सा गलत दर्ज कर दिया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में वादीगण

द्वारा जो बयनामा दिनांक 01–08–1972 का प्रस्तुत किया गया है। उक्त बयनामा दिनांक 1–8–1972 से कारे व सुखा द्वारा खसरा नम्बर 988 रकबा 12बीघा 14बिस्वा और खसरा नम्बर 969 रकबा 13बीघा 07बिस्वा कुल 26बीघा 01बिस्वा के 2/3हिस्से में से 1/3 हिस्सा बसंन्ता पुत्र कारे को विक्रय किया गया है तथा दिनांक 1–8–1972 को ही सुखा व सुगनी पुत्र कल्लन द्वारा खसरा नम्बर 988 और 969 कुल रकबा 26बीघा 01बिस्वा में निहित 1/3 हिस्से में से 1/8 हिस्सा कारे, सुखा एवं बसंता को विक्रय किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण का 2/3 हिस्सा बनता है तथा कारे व सुखा से बसन्ता ने कुल रकबा 26बीघा 01बिस्वा के 2/3 हिस्से में से 1/3 हिस्सा क्रय किया है, वह रकबा 05बीघा से अधिक होने के कारण फ्रेगमैन्ट की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त भी एक सहखातेदार से दूसरे सहखातेदार द्वारा उसके हिस्से में से खरीदी गयी भूमि पर फ्रेगमैन्ट लागू नही होता है। साथ ही दिनांक 11–11–1992 को फ्रेगमैन्ट समाप्त कर दिया गया तथा न्यायिक दृष्टान्त 1998 आरबीजेक पेज 323, 1994 आरआरडी पेज 714, 2001 आरआरडी पेज 365 एवं 1999 आरआरडी पेज 241 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार फ्रेगमैन्ट को भूतलक्षी प्रभाव से माना गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में फ्रेगमैन्ट मानते हुए वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया है जबकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में मूल वाद में कायम की गयी तनकीया पर तनकीयावार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तथा पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर भी विवेचना करते हुए अपीलाधीन निर्णय से विवादित आराजी मेंसे 17/24 हिस्से में से वादीगण प्रत्यर्थीगण को 2/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी अपीलार्थी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं विक्रयपत्र के अनुसरण में ही पारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन विधिसम्मत्

निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने हमारे समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में विधिक अथवा तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02-05-2003 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य